U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.
12th Floor, Shakti Bhawan Extn.
14-Ashok Marg, Lucknow - 226001
यू0 पी0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0,
12वॉ तल, शक्ति भवन विस्तार,
14. अशोक मार्ग, लखनऊ. 226001
CIN-U31901UP1985SGC007135

संख्याः 93–उनिलि/रिफार्म/eOffice(R022)Comp.No.47343/अनुशासन एवं अपील/2025 दिनांकः 27/05/2025

# कार्यालय ज्ञाप

कम्पनी अधिनियम–2013 की धारा–179 तथा निगम के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के प्राविधानों के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 27.05.2025 को परिचालन विधि से पारित निर्णय के अनुपालन में उ0प्र0 शासन की अधिसूचना सं0ः 414/सैंतालीस–का–1–2025–13(09)/1998 दिनांक 06.05.2025 एवं उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के कार्यालय ज्ञाप सं0ः I/11111/2025 काविनी एवं विनियम–29/पाकालि/25 Comp.No. 31776 दिनांक 15.05.2025 की अनुरूपता में निगम में प्रचलित **"उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड कार्मिक (अनुशासन एवं अपील) विनियमावली–2021 (यथा संशोधित)"** के **नियम 7 (सात)** में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन किया जाता है–

## उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड कार्मिक (अनुशासन एवं अपील) (द्वितीय संशोधन) विनियमावली, 2025

| | | |
|---|---|---|
| संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ | (1) **यह विनियमावली उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड कार्मिक (अनुशासन एवं अपील) (द्वितीय संशोधन) विनियमावली, 2025** कही जायेगी।<br>(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी। | |
| नियम 7 (सात) का संशोधन | उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड कार्मिक (अनुशासन एवं अपील) विनियमावली–2021 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये **नियम–7 के विद्यमान उपनियम (सात) के स्थान पर स्तम्भ–2 में** दिया गया नियम प्रतिस्थापित किया जाता हैः– | |
| | स्तम्भ–1<br>विद्यमान नियम | स्तम्भ–2<br>एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम |
| | **(सात)** जहां आरोपित कार्मिक आरोपों का इन्कार करता है, वहां जांच अधिकारी/जांच समिति आरोप–पत्र में प्रस्तावित साक्षी को बुलाने की कार्यवाही करेगा और आरोपित कार्मिक की उपस्थिति में जिसे ऐसे साक्ष्यों की प्रतिपरीक्षण का अवसर दिया जायेगा, उनके मौखिक साक्ष्य को अभिलिखित करेगा। उपर्युक्त साक्ष्यों को अभिलिखित करने के पश्चात् जांच अधिकारी/जांच समिति उस मौखिक साक्ष्य को | **(सात)** जहां आरोपित कार्मिक आरोपों को इन्कार करता है, वहां जांच अधिकारी/जांच समिति यदि नियम–7 (तीन) के अनुसार, आरोप–पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य साबित करने के लिये प्रस्तावित साक्षियों के नाम उल्लिखित हों तो आरोप पत्र में उल्लिखित साक्षियों को बुलाने की कार्यवाही करेगा और आरोपित कार्मिक की उपस्थिति में जिसे ऐसे साक्षियों की प्रति परीक्षा का अवसर दिया जायेगा, उनके मौखिक साक्ष्य को |

| | | |
|---|---|---|
| | मांगेगा और उसे अभिलिखित करेगा जिसे आरोपित कार्मिक में अपनी प्रतिरक्षा में अपने लिखित कथन में प्रस्तुत करना चाहा था।<br>प्रतिबन्ध यह है कि जांच अधिकारी/जांच समिति ऐसे कारणों से कोई लिखित रूप में अभिलिखित किये जायेंगे, किसी साक्षी को बुलाने से इन्कार कर सकेगा। | अभिलिखित करेगा। उपर्युक्त साक्ष्यों को अभिलिखित करने के पश्चात् जांच अधिकारी/जांच समिति उस मौखिक साक्ष्य को मांगेगा और उसे अभिलिखित करेगा जिसे आरोपित कार्मिक ने अपनी प्रतिरक्षा में अपने लिखित कथन में प्रस्तुत करना चाहा था।<br>परन्तु यह कि जांच अधिकारी/जांच समिति ऐसे कारणों से जो लिखित रूप से अभिलिखित किये जायेंगे, किसी साक्षी को बुलाने से इन्कार कर सकेगा।<br>परन्तु यह और कि यदि आरोपित कार्मिक स्वयं अपने लिखित विवरण के माध्यम से दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ–साथ मौखिक साक्ष्य के कोई प्रमाणन की वांछना नहीं करता है, तो जांच अधिकारी, इस तथ्य को लिखित रूप से अभिलिखित करेगा और मौखिक साक्ष्य के प्रतिपरीक्षण का कोई अवसर दिये बिना, केवल आरोपित कार्मिक के लिखित विवरण एवं अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर ही जांच अधिकारी/जांच समिति जांच की कार्यवाही समाप्त करेगा/करेगी। |

ii) **"उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड कार्मिक (अनुशासन एवं अपील) विनियमावली–2021(यथा संशोधित)"** सभी संशोधनों सहित समग्रता में उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के दोनों स्कन्धों (तापीय व जलीय) में प्रभावी होगी।

<u>निदेशक मण्डल की आज्ञा से,</u>

संख्याः 93–उनिलि/रिफार्म/eOffice(R022)Comp.No.47343/अनुशासन एवं अपील/2025 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अध्यक्ष, यू0पी0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. निदेशक (का0प्रबं0 एवं प्रशा0/परियोजना एवं वाणिज्य/तकनीकी/वित्त), यू0पी0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ, के निजी सचिव/स्टाफ ऑफिसर।
4. मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक (अनपरा/ओबरा/पारीछा/पनकी/हरदुआगंज/जवाहरपुर ताप विद्युत गृह, सोनभद्र/सोनभद्र /झाँसी/कानपुर/अलीगढ़/एटा)।
5. मुख्य अभियन्ता (स्तर–1/2), तापीय परिचालन/मानव संसाधन/वाणिज्य/ईंधन/आर0एण्ड0एम0/पर्यावरण एवं सुरक्षा/जानपद नव–परियोजना, यू0पी0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता (स्तर–1/2), पीपीएमएम/न्यू कोल ब्लॉक, यू0पी0रा0वि0उ0नि0लि0, टी0 सी0–46/वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता (स्तर–1/2), प्रगति इकाई, यू0पी0रा0वि0उ0नि0लि0, तृतीय तल, विद्युत सेवा आयोग भवन, एस0एल0डी0सी0 परिसर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

8. महाप्रबन्धक (का0 एवं प्रशा0)/मुख्य अभियन्ता(परि0 एवं अनु0), जल विद्युत स्कन्ध, यू0पी0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. महाप्रबन्धक (चिकित्सा), यू0पी0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. अधीक्षण अभियन्ता (मा0सं0–01/03/04/05/06/रिफॉर्म/टा0वा0से0/प्रशिक्षण), उ0नि0लि0, शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
11. उपमहाप्रबन्धक (मा0सं0–02/औ0सं0/वित्त एवं लेखा), उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
12. कम्पनी सचिव, यू0पी0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
13. मुख्य परियोजना प्रबन्धक (प्रगति), यू0पी0रा0वि0उ0नि0लि0, तृतीय तल, विद्युत सेवा आयोग भवन, एस0एल0डी0सी0 परिसर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
14. कट फाइल।

आज्ञा से,

27/05/25

(कौशलेन्द्र कुमार)
अधिशासी अभियन्ता (रिफॉर्म)